भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040

जिसका उत्तर मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2025/18 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर तीन प्रतिशत शुल्क

1040. श्रीमती महुआ माजी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने पर व्यवसायियों पर तीन प्रतिशत तक का शुल्क लगाया जा रहा है, जिससे छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की अपनी नीति के अनुरूप इन शुल्कों को कम करने या समाप्त करने की योजना बना रही है, ताकि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अधिकतम लेनदेन किया जा सके और व्यापारियों को राहत मिल सके, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17 अगस्त, 2022 को भुगतान प्रणालियों में शुल्क के संबंध में अपने चर्चा पत्र में बताया है कि भुगतान सेवाओं के लिए शुल्क उपयोगकर्ताओं के लिए उचित और प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित होने चाहिए, साथ ही मध्यवर्तियों के लिए इष्टतम राजस्व के विभिन्न स्रोत भी प्रदान करनी चाहिए। प्रभावी भुगतान प्रणाली संचालन के लिए ऑपरेटरों के लिए उपयुक्त प्रतिलाभ प्रदान करते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम लागत की गारंटी देने के लिए शुल्क, प्रभार और कीमतों के उचित निर्धारण की आवश्यकता होती है। इष्टतम परिदृश्य में बाजार की ताकतों को मांग, आपूर्ति, विकास और उपयोगकर्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन लागत-संबंधी संरचनाओं को निर्देशित करने देना शामिल होगा। इस प्रकार, बैंकों द्वारा प्रभार लगाने से अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने के उद्देश्य में डिजिटल भुगतान चैनलों को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित करने तक बाधा नहीं आनी चाहिए।

(ख): सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक डिजिधन मिशन की स्थापना की है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, रुपे डेबिट कार्ड और किसी भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के बजाय कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और फिनटेक को प्रोत्साहन प्रदान करना और अल्पसेवित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को तैनात करने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के माध्यम से सहायता प्रदान करना शामिल है।
